न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 67/2025 G.C.M.S. No. 2025/301 दर्ज दिनांक : 23.06.2025

अपीलार्थिगण:

1. खुमाराम पुत्र मिसरू उर्फ मिश्रीलाल, जाति माली, निवासी बेरा रेतीया, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. हीरालाल पुत्र भोलाराम पुत्र मिसरू उर्फ मिश्रीलाल
3. खीवराज पुत्र भोलाराम पुत्र मिसरू उर्फ मिश्रीलाल
4. देवाराम पुत्र भोलाराम पुत्र मिसरू उर्फ मिश्रीलाल
5. छगनलाल पुत्र भोलाराम पुत्र मिसरू उर्फ मिश्रीलाल, तमाम जातिगण माली, निवासी बेरा रेतीया, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नगरपालिका सोजत जरिये अधिशाषी अधिकारी।
2. भूमिधारी तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 124/2025 बअनवान हीरालाल वगैरह बनाम नगरपालिका सोजत वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.06.2025

पैरोकार–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पवन दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 124/2025 बअनवान हीरालाल वगैरह बनाम नगरपालिका सोजत वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में सोजत चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 2125 एवं 2127 कुल खसरा 2 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म बारानी एवं मेहन्दी की कृषि भूमि की खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, साथ में यह भी निवेदन किया कि उक्त भूमि पर कब्जा अपीलाण्ट संख्या 1 के पिता मिसरू जी व अपीलाण्ट संख्या 2 से 5 के दादा मिसरू जी का कब्जाकाश्त सवत् 2010 से लगातार चला आ रहा है और उक्त भूमि अपीलाण्ट के खातेदारी एवं कब्जासुदा बेरा रेतीया शिवरामजी व उसका जाव में साथ यह जमीन आयी हुई हैं, जो खुदकाश्त की रही हैं। जिसकी उद्घोषणा हेतु अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारी उद्घोषणा का दावा कर रखा है व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी निवेदन किया। अपीलाण्ट ने वाद के विचाराधीन रहते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी अनुतोष चाहा कि उक्त भूमि पर इतना पुराना कब्जा होते हुए भी नगर पालिका, सोजत ने अतिक्रमण/2025–26/399 दिनांक 14.05.2025 को अपीलाण्ट का कब्जा हटाने का नोटिस दिया, जबकि अपीलाण्ट अपने खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का दावा कर रखा है, ऐसी सूरत में वाद में वर्णित भूमि की सुरक्षा का दायित्व अधिनस्थ न्यायालय का बनता है, फिर भी केवल यह लिखते हुए कि उक्त भूमि की खातेदारी इनकी नहीं हैं और नगर पालिका सोजत के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और नगर पालिका सोजत एक सरकारी संस्था है, इसलिये आदेश देना इस स्तर पर उचित नहीं हैं। जबकि अगर अपीलाण्ट अगर खातेदार ही होते तो दावा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती और जब अपीलाण्ट का इस जमीन पर पुराना कब्जा होने से यहां तक भूमिधारी तहसीलदार स्वयं ने भी नियमन हेतु सिफारिश की हैं, जैसा की आदेश दिनांक 04.12.1986 से साबित है कि उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 250, 250 मीन थें। विक्रम संवत 2017 से 2069 तक की खसरा परिवर्तनशील साक्ष्य में अपीलाण्ट के कब्जे की ताईद के तौर पर पेश है। इससे भी साफ जाहिर है कि अपीलाण्ट का कब्जा 60–70 वर्षों से भी अधिक पुराना हैं। अपीलाण्ट के कब्जे की ताईद में जमाबन्दी परिवर्तनशील भी प्रस्तुत कर रहा है, जिस पर अपीलाण्ट की कब्जे की ताईद हो रही हैं। इस तरह अपीलाण्ट की भूमि को नियमन के लिए उपखण्ड अधिकारी सोजत के यहां लम्बित है, जिसका निर्णय आज दिन तक न तो अपीलाण्ट को सूचित ही किया है। अगर ऐसा विरूद्ध निर्णय होता तो उसकी अपीलाण्ट अपील करता। राज्य सरकार की मंशा है कि संवत् 2005 के पूर्व के जो भी अतिक्रमी हैं और वह भूमिहीन है तो उसके हक में उक्त भूमि को नियमित किया जावे, जबकि अपीलाण्ट स्वयं भूमिहीन है। मौके पर अपीलाण्ट की मेहन्दी की फसल खड़ी हैं, जो खसरा गिरदावरी से साबित है। अगर नगर पालिका नाम की ओट में कानून को हाथ में लेकर मौके पर कब्जा करती हैं तो अपीलाण्ट के खड़ी फसल को नष्ट कर देंगे, जबकि मेहन्दी उगाने में अपीलाण्ट को काफी खर्चे से जैरबार होना पड़ा है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मूल दावे में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उसका सही रूप से न तो मूल्यांकन किया, न ही अपनी ओर से विवेचन किया है, ऐसी सूरत में उक्त निर्णय निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण द्वारा रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा वादीगण अपीलांट्स का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में उभयपक्षकारान के मध्य वाद अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं किया गया है तथा जब तक विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं कर दिया जाता तब तक न्यायालय हाजा द्वारा ऐसे प्रकरणों में अंतिम रूप से कोई निर्णय या अभिमत पारित नहीं किया जा सकता।

3. रेस्पोंडेंट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2125 एवं 2127 नगरपालिका के नाम दर्ज है तथा नगरपालिका द्वारा अमृत 2.0 योजना स्वीकृत है। जिससे कार्य बाधित हो रहा है। वहीं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा नगरपालिका सोजत द्वारा जारी पत्रांक 3671 दिनांक 16.01.2026 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नगरपालिका द्वारा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नगरपालिका समिति की बैठक दिनांक 10.12.2025 के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 3084 दिनांक 12.12.2025 द्वारा नगरपालिका सोजत के चक नंबर 1 के खसरा संख्या 2286 में अमृत 2.0 योजना स्वीकृत किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर संवेदक को खसरा संख्या 2286 की भूमि पर कार्य तुरंत आरंभ करने के लिए निर्देशित किया गया। अतः हमारे विनम्र मत में चूंकि नगरपालिका मण्डल द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में स्वीकृत कार्य को प्रस्ताव द्वारा अन्य खसरा संख्या 2286 में स्वीकृत किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 2125 व 2127 के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित कोई वादकारण शेष नहीं रह जाता है। अतः प्रकरण में पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.06.2025 को अपास्त करते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 124/2025 बअनवान हीरालाल वगैरह बनाम नगरपालिका सोजत गुणावगुण के आधार पर 60 दिवस के भीतर विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली